न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़

अपील संख्याः–3/2026 पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश सहारण (RAS)

दीपक पुत्र तेजपाल, जाति गुर्जर, निवासी बबेरा, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान 301402

–अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
2. रोहिताश पुत्र उमराव, जाति मेघवाल, निवासी बबेरा, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

–रेस्पोडेण्टस

3. अशोक
4. अजय
5. विक्की पुत्रान तेजपाल
6. धोलाराम पुत्र रामहेत

जातियान गुर्जर, निवासी बबेरा, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

–तरतीबी रेस्पोडेण्टस

राजस्व अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10–12–2025 तहसीलदार बानसूर, बउनवानी प्रकरण रोहिताश बनाम अशोक वगैरह, प्रार्थना–पत्र 183बी आर.टी.एक्ट, मुकदमा नम्बर–01/2025

उपस्थितः–

1. अपीलाण्टस वकील– श्री संदीप बंसल।
2. रेस्पोडेन्टस वकीलः–संजू यादव।

निर्णय

दिनांकः– 14.5.26

1. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट 2 ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183बी आर.टी. एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 19/1.125 वाके मोजा बबेरा तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान प्रार्थी की राजस्व रिकार्ड दर्ज आराजी है जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसे बेदखल कर दिया गया है।

यह कि प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर विवादित आराजी के स्वामित्व से सम्बन्धित साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया गया एंव पटवारी हल्का बबेरा को मौके की जांच हेतु लिखा गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

यह कि पटवारी हल्का बबेरा द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गयी जिसमें मौके पर आराजी खसरा नम्बर 19/1.125 में से 0.50 हैक्टेयर में से 100 वर्गमीटर में पक्का निर्माण अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 का कब्जा दर्शाया गया व 0.25 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 5 का कब्जा काश्त दर्शाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जबाब पेश किया गया जिसमें पुनः मौका जांच चाही गई।

यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10–12–2025 को पारित करते हुये प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्टस श्रीमान के समक्ष निम्न सुदृढ तथ्यों पर अपील पेश कर रहे है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10–12–2025 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10–12–2025 मनमाना एंव कयास पर आधारित है इसलिए अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10–12–2025 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत कथन किया गया था कि मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट उक्त भूमि पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी पर रेस्पोडेण्ट रोहिताश का कभी कोई कब्जा नही रहा है बल्कि अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्टस के बुजुर्गान का ही कब्जा रहा है लेकिन फिर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय निदांक 10.12.2025 पारित करके भारी भूल की है जो जेर अपील निरस्तनीय है।
5. यह कि उक्त आराजी बाबत एक नियमित वाद घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा का बउनवानी कृष्णा देवी बनाम रोहिताश वगैरह माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर बानसूर में विचाराधीन है जिसमें अपीलाण्ट की माता कृष्णा देवी ने जिम्मन नम्बर 3 में स्पष्ट अंकित किया है कि बीरबल पुत्र बिडदा जिन्होने कि मिन वादीया को अपनी धर्मपुत्री बना रखा था ने अपनी स्वेच्छा से अपने हिस्से की 1/8 भूमि पर जिस पर बहैसियत मृतक बिडदा के फूटस्टेप पर काबिज होकर काश्त कर रहे थे को मिन वादीया को ग्राम बबेरा में निवास करने व काश्त करने के लिये गांव के मौजीज व्यक्तियो की मौजूदगी में मिती दोयज सुदी श्रावण सम्वत 2030 को वसीयत कर दी थी और उसी समय मिन वादीया उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार कातश्कार काश्त कर रही है इसके दक्षिण भाग में करीब 5 बिस्वा रकबा में अपने रिहायशी मकान बना रखे है। इस प्रकार अपीलाण्ट की माता कृष्णा देवी उक्त भूमि पर काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा आज भी अपीलाण्ट व उसकी माता उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जांच किये बिना निर्णय दिनांक 10–12–2025 पारित करके भारी भूल की है जो जेर अपील निरस्तनीय है ।
6. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10–12–2025 की अपनी आदेशिका में अपीलाधीन आदेश पारित करते समय पक्षकारान की उपस्थिति नही दर्शाई है तथा बार बार आवाज लगाने पर भी कोई उपस्थित नही का हवाला दिया है। ऐसी सूरत में माननीय अधीनस्थ न्यायालय को उक्त पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करनी चाहिये थी। किन्तु ऐसा नही करके अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की अनदेखी कर निर्णय दिनांक 10–12–2025 पारित किया है जो जेर अपील अपास्तनीय है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

7. यह कि अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्टस उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व एंव धारा 42 आर.टी.ए. 'लागू होने से पूर्व ही काबिज काश्त चले आ रहे है अतः ऐसी स्थिति में उक्त आराजी बाबत धारा 42 आर.टी.ए. के प्रावधान लागू नहीं होते है लेकिन फिर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10–12–2025 पारित करके भारी भूल की है जो जेर अपील निरस्तनीय है ।
8. यह कि अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्टस को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10–12–2025 के बाबत पूर्व में जानकारी नही थी। अब गत सप्ताह रेस्पोडेण्ट संख्या 2 अपीलाण्ट की आराजी पर आया और जबरन अपीलाण्ट को बेदखल करने की धमकी दी और कहा कि मैंने तहसीलदार बानसूर से तुमको आराजी से बेदखल करने के आदेश करवा लिये है तथा अब मैं तुमको आराजी से बेदखल करूंगा जिस पर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10–12–2025 की नकल प्राप्त की और अपना वकील नियुक्त कर बिना किसी देरी के अपील माननीय न्यायालय में पेश है।
9. यह कि तरतीबी रेस्पोडेण्टस के उक्त अपील में अपीलाण्ट के समान हित निहित है लेकिन अपील पेश करने के वक्त मौजूद नही होने के कारण तरतीबी रेस्पोडेण्ट बनाया गया है।
10. यह कि अन्य वजूहात वरवक्त बहस अर्ज किये जायेगें।
11. यह कि अपील उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।
12. यह कि अपील में माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार हांसिल है।
13. अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–12–2025 तहसीलदार बानसूर बउनवानी प्रकरण रोहिताश बनाम अशोक वगैरह, प्रार्थना–पत्र 183बी आर.टी.एक्ट, मुकदमा नम्बर– 01/2025 को निरस्त करने की कृपा करें ।
14. अपील जरिये वकील श्री संदीप बंसल द्वारा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को तल्बी हेतु नोटिस जारी किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजू यादव उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया। वकील उभयपक्ष की सुना गया।
15. अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किये कि तहसीलदार का आदेश मनमाना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते समय उभयपक्षकारान को अनुपस्थित दिखाया है, जबकि वास्तविकता में अपीलांटगण/अप्रार्थीगण प्रकरण में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर चुके थे। अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि यदि न्यायालय की दृष्टि में उभयपक्षकारान अनुपस्थित थे, तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाना चाहिए था, न कि गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार उभयपक्षकार की अनुपस्थिति दर्शाकर आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है और आदेश निरस्त किया जाना चाहिए। वकील रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अन्य किसी स्वर्ण जाती हो विक्रय/दान पत्र या वसीयत नही कर सकते है। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का सदस्य नही है तथा रेस्पोडेन्ट की भूमि पर कब्जा कर लिया है इसलिए रेस्पोडेन्ट द्वारा तहसीलदार के समक्ष 183 बी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया इसलिए अपीलान्ट की अपील को खारीज किये जाने की कृपा करें।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

16. पत्रावली का अवलोकन करने और उभयपक्षकारान की बहस सुनने के बाद, अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10–12–2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय ने उभयपक्षकारान की अनुपस्थिति दर्ज की है। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो न्यायालय प्रकरण को अदम पैरवी में निस्तारित करना चाहिए। उभयपक्ष की अनुपस्थिति में आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि इससे अपीलांट को अपनी बात रखने का अंतिम अवसर नहीं मिला। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पुनः मौका जांच की मांग की गई थी, जिसे बिना पर्याप्त कारण स्पष्ट किए अनदेखा करते हुये आदेश पारित किया गया इसलिए उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर के **आदेश दिनांक 10–12–2025 को निरस्त कर प्रकरण** इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़